

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर**  
**पीठासीन अधिकारी-संजय शर्मा**

अपील संख्या 85/2024

तारीख रजू 28.11.2024

जयनारायण पुत्र लडडू गुर्जर निवासी क्यारदा खुर्द, तहसील खण्डार ।

--- अपीलार्थी

**बनाम**

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार ।

--- रेस्पोंडेन्ट

उपस्थिति -

श्री गिर्राज सिंह गुर्जर एडवोकेट

- अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व

- रेस्पोंडेन्ट

**निर्णय**

**दिनांक 27.06.2025**

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 12/2020 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम क्यारदा खुर्द के आराजी खसरा नम्बर 440 रकबा 01.00 बीघा किस्म चरागाह पर संवत् 2077 में जिन्स जोत कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए एक माह (30) दिवस के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त होने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों का सही प्रकार से विवेचन नहीं किया है एवं गलत प्रकार से अपना निर्णय पारित किया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि अपीलाण्ट/प्रार्थी कोई सम्मन नोटिस नहीं मिला तथा नहीं अपीलाण्ट की कोई प्रोपर तामिल ही हुयी है अगर अपीलाण्ट को सम्मन नोटिस मिलता और तामिल हो जाती तो अपीलाण्ट अपने पक्ष में साक्ष्य सफाई पेश करता। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि उक्त आराजीयात ख0नं0 440 रकबा 1.00 बीघा किस्म चरागाह पर अपीलाण्ट का वर्तमान में कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा नहीं अपीलाण्ट कोई पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है। मात्र पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है जिसकी आधार पर अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने जुर्माना व सजा से दंडित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपारत होने योग्य है। यह कि उक्त आराजीयात के आसपास के खेत वालों के पटवारी हल्का ने कोई बयान नहीं लिये है तथा सीधे कार्यालय में बैठकर स्वेच्छाचारी रिपोर्ट पेश की है। प्रार्थी अपीलाण्ट का कब्जा अपनी खातेदारी की आराजीयात पर है



**अति. जिला कलेक्टर**  
**सवाई माधोपुर**


जिस पर सुचारू रूप से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए अपने निर्णय में यह अंकन नहीं किया है कि कब किस साल, सम्वतों में अपीलान्ट ने क्या फसल काश्त की है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। परोकार ने बहस में यह भी तर्क दिया है कि विवादित भूमि की किस्म चरागाह है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा मवेशियों के चरने के उपयोग में काम आती है यदि अपीलार्थी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि से बेदखल नहीं किया गया तो अन्य व्यक्तियों को भी अतिक्रमण करने हेतु बढावा मिलेगा एवं पशुधन सम्पदा को क्षति पहुँचने की पूर्ण संभावना है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट के पुत्र की तामील हुई है। बावजूद तामील अपीलान्ट नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुए। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहाँ तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर हो जाती है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो। यद्यपि, अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है किन्तु यहां इस बात को भी नजर-अंदाज नहीं किया जा सकता है कि अतिक्रमित आराजी की किस्म चरागाह है जो मूक पशुओं की चराई में काम आती है व सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से चरागाह भूमि पर बढते अतिचार को रोकना अत्यन्त आवश्यक है। अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता नजर नहीं आती है तथा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 21.09.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(संजय शर्मा)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर